BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA No. 85 of 2025

In the matter of:

Jagdish Raghav …Applicant

Versus

State of Haryana & Ors. …Respondents

INDEX

S. No	Particular	Page No.
1.	Reply On Behalf of Respondent No. 2, 3 & 4	**1-6**
2.	Annexure- R/1: Copy of notices issued by Forest Department	**7-13**
3.	**Annexure- R/2:** Letter of Deputy Commissioner, Gurugram constituting the committee	**14**
4.	**Annexure R/3:** Reports of the committee vide letter no 05/MC dated 06.01.2026	**15-18**
5.	**Annexure R/4:** Letter no. 3828 dated 05-12-2025 and letter no. 65 dated 06-01-2025 of the Block Development and Panchayat Officer Sohna	**19-27**
6.	**Annexure R/5:** Letter no. 1232/O.k. dated 05-01-2025 of the Tehsildar Sohna	**28-29**
7.	**Annexure-R/6:** Letter no. 564-S dated 05-01-2026 of the Range Forest Officer	**30**
8.	**Annexure A/7:** Application for diversion of forest land by Gram Panchayat Ghamroj dated 05.01.2026	**31-36**

Date: 08.01.2026

Filed through:

Rahul Khurana, Advocate

Counsel for Respondent No. 2, 3 & 4

09811894060

rkhuranalegal@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA No. 85 of 2025

In the matter of:

Jagdish Raghav ...Applicant

Versus

State of Haryana & Ors. ...Respondents

REPLYON BEHALF OF RESPONDENT No. 2, 3 & 4

Most Respectfully Showeth:

1. That present reply is being filed through Raj kumar, Deputy Conservator of Forest, Gurugram who is authorised and competent to file the present reply on behalf of answering respondent.

Preliminary Submissions

2. That the answering Respondents submit this reply in response to the allegations made in the present Original Application regarding plotting and construction activities on land forming part of the Aravalli Plantation Project in Village Ghamroj, Tehsil Sohna, District Gurugram, Haryana.

3. As per Forest Department record, the land of village Ghamroj in Mustil no. 80//1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, Mustil no. 81//1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and Mustil no. 82//1, 2, 10 are Aravalli plantation area.The occupants were issued notices by the Forest Department informing them that the land occupied by them falls under Aravalli plantation and thereby, forest and directed to remove all non-forestry activities from forest area. Copy of these notices are annexed herewith as **Annexure-R/1 (Colly).**

4. That the Deputy Commissioner,Gurugram had constituted acommittee under chairmanship of Sub-Divisional Officer, Sohna vide letter 863/panchayat dated 03.11.2025**(Annexure-R/2).**The committeememberscomprising the Range Forest Officer Sohna, Tehsildar Sohna and Block Development& Panchayat Officer, Sohna and Sub-Divisional Magistrate, Sohna had submitted their reports vide their letter no 05/MC dated 06.01.2026 **(Annexure-R/3)**.

Accordingly, reports were submitted by the Tehsildar Sohna, Block Development and Panchayat Officer Sohna and the Range Forest Officer Sohna.

A joint report submitted by committee was prepared based on the following reports:

- Letter no. 3828 dated 05-12-2025 and letter no. 65 dated 06-01-2025 of the Block Development and Panchayat Officer Sohna **(Annexure- R/4)** .
- Letter no. 1232/O.k. dated 05-01-2025 of the Tehsildar Sohna**(Annexure- R/5).**

- Letter no. 564-S dated 05-01-2026 of the Range Forest Officer, Sohna **(Annexure-R/6)**

The abovementioned constituted committee has submitted its findings through letter 05/MC dated 06.01.2026. Brief details of committee findingsare given as under:-

The Committee finds that the Gram Panchayat Ghamroj has informed the Block Office through resolution no. 01 dated 24-11-2025 that the former Gram Panchayat Ghamroj had, vide resolution no. 01 dated 30-09-1969, decided that members of harijan community did not have land for residence, therefore, they should be allotted land for residence in mustil no. 82//17/2, 18, 23, 24/1, 99/3 & 4/1 measuring 30 kanal 5 marla. Upon passing the resolution, then Sarpanch allowed possession of the plots to the members of harijan community in Mustil no. 81, and upon being provided the possession, the allottees constructed houses on those plots.Later, the Gram Panchayat unanimously passed resolution no. 07 dated 10-09-1972 approving allotment to all the allottees of harijan community in Mustil and Killa no. 100/4, 5, 6, 7, 14 instead of Mustil no. 82. However, the beneficiaries did not get their allotments registered in Mustil no. 100. As a result, all beneficiaries continued to live in the houses constructed in Mustil no. 81.

It has been further submitted by the committee that the former Sarpanch passed resolution no. 52 dated 20-07-2000 proposing to register the plots allotted in 1969 in favor of 44 plot holders (or their legal heirs in case of deceased beneficiaries) and registration was carried out in Mustil no. 100 in favour of all the beneficiaries. However, the beneficiaries have been residing on Mustil no. 81, while Mustil no. 100 is lying vacant. No beneficiary was given possession on this land.

Committee further submitted that under the scheme issued by the Haryana Government, namely Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana, 171 beneficiaries were allotted plots in Mustil no. 81 in the year 2012 by the Gram Panchayat.

The Gram Panchayat passed resolution no. 01 dated 17-10-2013 to correct the deficiencies left during consolidation (including extension of Lal Dora) and sent it to the Director, Consolidation Department Haryana. The matter is still under consideration. After detailed consideration of all the above facts, and while complying with the orders passed by the Hon'ble Supreme Court, the Gram Panchayat has taken a decision in public interest that the following land where residential settlement already exists [**Mustil& Killa numbers listed 80//16(8-0), 81//5 Min (1-0), 6(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 10(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14(8-0), 15(8-0), 16(8-0), 17(8-0), 18(8-0), 19(8-0), 20(8-0), 24(8-0), 82//2(4-0), 10(8-0), 57//12(4-0), 19(6-0), 21(6-0), 67//1(6-0), 68//5(2-0), 6(4-0)]**– total area 21 acres 1 kanal 0 marladiversion under section 2 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 be obtained.The Gram Panchayat is ready to providePanchayat-owned equivalent alternate land measuring 24 acres 6 kanals 0 marlasfor Compensatory afforestation. The Panchayat resolution is enclosed along with this report. The Gram Panchayat Ghamroj has applied for diversionof forest land through case number FP/HR/Other/564252/2026 dated 05-01-2026**.(Annexure R/7)**

Site inspection reports of the Halka Patwari, describe the current status of the land, is given as follows: Mustil no. 81//1 is only plants and trees, Mustil no. 81//2 is only plants and trees, Mustil no. 81//3 is only plants and trees, Mustil no. 81//4 is 90% plants & trees and 10% Gair. Mumkin Houses and Mustil no. 81//5 is 95% empty and plants & trees paths 5% Gair. Mumkin Houses, 81//6 is 50% empty and paths

50% Gair. Mumkin Houses, 81//7 is 85% empty and plants & trees 15% Gair. Mumkin Houses, 81//8 is 90% empty, plants & trees 10% Gair. Mumkin Houses, 81//9 empty 90% and 10% Gair. MumkinMustil no. 81//10 70% empty paths & plats trees and 30% gair mum. Houses, Mustil no. 81//11 gair. Mumkin Houses and paths, Mustil no. 81//12 gair. Mumkin Houses and paths, Mustil no. 81//13 gair Mumkin House and path, Mustil no. 81//14 gair Mumkin House and path, Mustil no. 81//15, 16, 17, 18, 19, 20 gair. Mumkin House and path, 82//1-22 has trees and plants, 82//2 has 50% plants trees and almost 50% gair Mumkin Houses and path, 82//3, 4, 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 almost all gair mumkin house and paths, 82//21 almost 50% plants trees and 50% gair mumkin Paths and houses and Mustil no. 100//1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24/1, 24/1, 25/1, 25/2 almost 100% plants and trees, 100//14, 15, 16, 17 almost empty.

5. The answering respondents seek liberty to file additional affidavits or compliance/status reports as and when required, with the permission of this Hon'ble Tribunal.

In view of the submissions made herein above, it is humbly prayed that present reply be taken on record. It is undertaken to comply with the directions passed by this Hon'ble Tribunal.

Place:-Gurugram
Dated:-08.01.2025

(Raj Kumar)
Deputy Conservator of Forest,
On Behalf of Respondent
No. 2,3 & 4

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA No. 85 of 2025

In the matter of:

Jagdish Raghav ...Applicant

Versus

State of Haryana & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT

I, Raj kumar, Deputy Conservator of Forest, Gurugram, aged about 39 years do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That in the aforesaid official capacity, I am well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized representative of Respondent No.2,3 and 4, therefore, I am competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the contents of accompanying reply which has been drafted under my instructions.

Deponent

Verification:

Verified at Gurugram on 8th day of January 2025 that the contents of affidavit are true and correct to my knowledge and on the basis of information derived from the official record which I believe to be true and no material fact has been concealed therein.

Deponent

NOTARY GOVT. OF INDIA ★ RAM NIWAS, GGN. (Reg. No. 8224) ★
0 8 JAN 2026

ATTESTED

RAM NIWAS MALIK, ADVOCATE
NOTARY, GURUGRAM (HR.) INDIA

Annexure -R-1 89

Annexure-R1

74

(1)

125

वन–विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना

नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना–गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

क्रमांक:– 1161-S दिनांक:– 10-09-2021

सेवा में,

मिथलेश पत्नी धर्मपाल, प्लाट न. 63,
गांव–घामडौज, तहसील–सोहना, थाना भौण्डसी,
जिला–गुरूग्राम, हरि० (122102)

विषय:– **नोटिस।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पता चला है कि आप दवारा/आपके मातहत दवारा/नुमायन्दों दवारा **घामडौज PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में मकान/चारीदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, यह भूमि **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में आती है। इस भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "वन" घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर–वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिए आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की **श्रेणी** में आता है। आप द्वारा इस तरह PLPA 1900, FCA-1980 व भारतीय वन अधिनियम–1927 की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23–07–2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में बहाल करे। यदि आपके पास इस निर्माण से सम्बन्धित किसी तरह के वैध सरकारी दस्तावेज है, तो उन्हे नोटिस में दिए गए समय के दौरान इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

-- 1802557 90

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

71

DOR- 24/09

वन–विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना

नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना–गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

क्रमांक:– 1183-S दिनांक:–10-09-2021

सेवा में,

गंगाराम पुत्र बालूराम, प्लाट न0. 102,
गांव–घामडौज, तहसील–सोहना, थाना भौण्डसी,
जिला–गुरूग्राम, हरि0 (122102)

विषय:– नोटिस।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पता चला है कि आप दवारा/आपके मातहत दवारा/नुमायन्दों दवारा घामडौज **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में मकान/चारीदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, यह भूमि **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में आती है। इस भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "वन" घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर–वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिए आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। आप द्वारा इस तरह PLPA 1900, FCA-1980 व भारतीय वन अधिनियम–1927 की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23–07–2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में बहाल करे। यदि आपके पास इस निर्माण से सम्बन्धित किसी तरह के वैध सरकारी दस्तावेज है, तो उन्हे नोटिस में दिए गए समय के दौरान इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Scanned with OKEN Scanner

127

72

वन–विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना

नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना–गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

9।

क्रमांक:–854-55-S

दिनांक:–04-09-2021

सेवा में,

1. धर्मेन्द पुत्र बदन सिंह, (9873489392)
2. देवेन्द्र पुत्र बदन सिंह, (9899242023)

गांव–घामडौज, तहसील–सोहना, थाना भौण्डसी,
जिला–गुरूग्राम, हरि० (122102)

विषयः– **नोटिस।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पता चला है कि आप दवारा/आपके मातहत दवारा/नुमायन्दों दवारा **घामडौज PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में मकान/चारीदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, यह भूमि **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में आती है। इस भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "वन" घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर–वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिए आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। आप द्वारा इस तरह PLPA 1900, FCA-1980 व भारतीय वन अधिनियम–1927 की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23–07–2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में बहाल करे। यदि आपके पास इस निर्माण से सम्बन्धित किसी तरह के वैध सरकारी दस्तावेज है, तो उन्हे नोटिस में दिए गए समय के दौरान इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Scanned with OKEN Scanner

128

73

वन–विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना
नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना–गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

क्रमांक:–856-57-S — दिनांक:–04-09-2021

सेवा में,

1. कृष्ण पुत्र कल्जी सिंह,
2. ओमपाल पुत्र कल्जी सिंह,
गांव–घामडौज, तहसील–सोहना, थाना भौण्डसी,
जिला–गुरूग्राम, हरि0 (122102)

विषयः–   **नोटिस।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पता चला है कि आप दवारा/आपके मातहत दवारा/नुमायन्दों दवारा **घामडौज PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में मकान/चारीदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, यह भूमि **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में आती है। इस भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "वन" घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर–वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिए आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। आप द्वारा इस तरह PLPA 1900, FCA-1980 व भारतीय वन अधिनियम–1927 की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23–07–2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में बहाल करे। यदि आपके पास इस निर्माण से सम्बन्धित किसी तरह के वैध सरकारी दस्तावेज है, तो उन्हे नोटिस में दिए गए समय के दौरान इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Scanned with OKEN Scanner

74

93

वन–विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना

नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना–गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

क्रमांक–861-S

दिनांक–04-09-2021

सेवा में,

धनपति पत्नी मंगल सिंह (8383050440),
गांव–घामडौज, तहसील–सोहना, थाना भौण्डसी,
जिला–गुरूग्राम, हरि0 (122102)

विषय:– नोटिस।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पता चला है कि आप दवारा/आपके मातहत दवारा/नुमायन्दों दवारा घामडौज **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में मकान/चारीदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, यह भूमि **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में आती है। इस भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "वन" घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर–वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिए आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। आप द्वारा इस तरह PLPA 1900, FCA-1980 व भारतीय वन अधिनियम–1927 की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23–07–2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में बहाल करे। यदि आपके पास इस निर्माण से सम्बन्धित किसी तरह के वैध सरकारी दस्तावेज है, तो उन्हे नोटिस में दिए गए समय के दौरान इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

dc

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Scanned with OKEN Scanner

वन–विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना

नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना–गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

क्रमांक:–860-S दिनांक:–04-09-2021

सेवा में,

परमजीत पुत्र पोपसिंह,
गांव–घामडौज, तहसील–सोहना, थाना भौण्डसी,
जिला–गुरूग्राम, हरि० (122102)

विषय:– **नोटिस।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पता चला है कि आप दवारा/आपके मातहत दवारा/नुमायन्दों दवारा **घामडौज PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में मकान/चारीदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, यह भूमि **PLPA 1900 Section 4 & 5/Aravalli Plantation** क्षेत्र में आती है। इस भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "वन" घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर–वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिए आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। आप द्वारा इस तरह PLPA 1900, FCA-1980 व भारतीय वन अधिनियम–1927 की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23–07–2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में बहाल करे। यदि आपके पास इस निर्माण से सम्बन्धित किसी तरह के वैध सरकारी दस्तावेज है, तो उन्हे नोटिस में दिए गए समय के दौरान इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Scanned with OKEN Scanner

76 : 95

वन—विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन राजिक अधिकारी, क्षेत्रीय, सोहना
नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना—गुरूग्राम
Email: sohnarangete@gmail.com

क्रमांकः—**866-S**

दिनांकः—**28-12-2022**

सेवा में,

रविन्द्र पुत्र बदन सिंह,
पता—गांव व डाक घामडौज, थाना—मौण्डसी,
तहसील—सोहना, जिला—गुरूग्राम, हरि० (122103)

विषयः— नोटिस।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप दवारा **घामडौज** अरावली पौधारोपण क्षेत्र **मुस्तिल न0 82 के किला नं0 10** में मकान/चारदीवारी बनाकर अवैध रूप से वन अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है। जिस भूमि पर आप द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, इस भूमि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, वृक्ष कटाई, चारदीवारी, भवन निर्माण, या किसी भी प्रकार के गैर—वानिकी कार्यो को करने की मनाही है। इसलिएं आप द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। आप द्वारा इस तरह भारतीय वन अधिनियम—1927 के नियमो की उल्लंघना की गई है। माननीय उच्वतम न्यायालय ने भी एक मामले Municipal Corporation Faridabad Vs. Khori Gaon Residents Welfare Association में दिनांक 23—07—2021 को आदेश पारित करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माण को वन भूमि से तुरन्त हटाने के आदेश दिए है।

अतः आपको नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप 7 दिन के भीतर वन भूमि पर किए गए सभी तरह के अवैध निर्माण/कार्य तुरन्त हटाते हुए उसे पुनः अपनी वास्तविक स्थिती में ब्रहाल करे। अगर आप द्वारा अवैध निर्माण/कार्य को 7 दिन के भीतर नही हटाया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना किसी आगामी सूचना के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिस पर आने वाले खर्च की वसूली भी आपसे की जायेगी।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Scanned with OKEN Scanner

Annexure R-II

प्रेषक :   केवल ई–मेल के माध्यम से

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में,

1. Sub Divisional Officer (C), Sohna.
2. Range Forest Officer, Sohna/Gurugram.
3. Tehsildar Sohna.
4. Block Development & Panchayat Officer, Sohna.

क्रमांक 863/पंचायत दिनांक : 03.11.2025

विषयः O.A. No. 85 of 2025 titled as Jagdish Raghav Versus State of Haryana & others.

उपरोक्त विषय बारे यह व्यक्त किया जाता है कि विषयाधीन शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 03.11.2025 को उपायुक्त, गुरूग्राम द्वारा जिला वन अधिकारी, गुरूग्राम, तहसीलदार सोहना, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोहना व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुरूग्राम के साथ मिटिंग की गई, जिसमें उन्होनें उप–मण्डल अधिकारी (ना0), सोहना की अध्यक्षता वाली एक कमेटी गठित करते हुए तथ्यपूर्ण संयुक्त रिपोर्ट अति शीघ्र भिजवाने बारे निर्देश दिये है।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपरोक्त निर्देशानुसार तथ्यपूर्ण संयुक्त रिपोर्ट अतिशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें, ताकि माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विषयाधीन शिकायत का जवाब समय पर दिया जा सकें।

कृते : उपायुक्त, गुरूग्राम।

SDM Sohna – 08901235244

Annexure- R-3

कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना0), सोहना, गुरूग्राम।
ओल्ड जुडिशियल कॅम्पलैक्श, अनाज मण्डी, सोहना।
दूरभाष नं0 0124–2395042 ई–मेलः sdmsouthgurgaon@gmail.com

सेवा मे,

उपायुक्त महोदय,
गुरूग्राम।

क्रमांक 05 /एम0सी0 दिनांक 06/01/2026

विषयः– **O.A. No. 85 of 2025 titled as Jagdish Raghav versus State of Haryana &others.**

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 863/पंचायत दिनांक 03.11.2025 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले मे आपके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन राजिक अधिकारी सोहना, तहसीलदार सोहना व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोहना की उपमण्डल अधिकारी ना0 सोहना की अध्यक्षता मे संयुक्त कमेटी गठित करके उक्त मामले मे तथ्यपूर्ण संयुक्त रिपोर्ट भिजवाने बारे निर्देश दिया था।

जिस पर इस कार्यालय के द्वारा तहसीलदार सोहना, खण्ड विकास एव पंचायत अधिकारी सोहना, व वन रजिक अधिकारी सोहना से रिपोर्ट ली गई।

खण्ड विकास एवं पचायत अधिकारी सोहना के पत्र क्रमांक 3828 दिनांक 05.12.2025 व पत्र क्रमांक 65 दिनांक 06.01.2026, तहसीलदार सोहना के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1232/ओ0के0 दिनांक 05.01.2026 व वन रजिक अधिकारी के पत्र क्रमांक 564–एस दिनांक 05.01.2026 के आधार पर संयुक्त रिपोर्ट इस प्रकार है:–

ग्राम पंचायत घामडीज ने अपने नकल प्रस्ताव न0 01 दिनांक 24.11.2025 के माफत खण्ड कार्यालय को अवगत कराया है कि पूर्व ग्राम पंचायत घामडोज ने अपने प्रस्ताव न0 01 दिनांक 30.09.1969 के माध्यम से निर्णय लिया था कि गांव के हरिजनों के पास रिहायश के लिए कोई जगह नही है इसलिए इन्हे रिहायश के लिए मुस्तिल न0 82//17/2, 18, 23, 24/1, 99/3 व 4/1 मिन कुल तादादी रकबा 30 कनाल 5 मरला में रिहायश के लिए

कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना0), सोहना, गुरूग्राम।

ओल्ड जुडिशियल कॅम्पलैक्श, अनाज मण्ड़ी, सोहना।

दूरभाष नं0 0124–2395042 ई–मेलः sdmsouthgurgaon@gmail.com

प्लाट दिए जावें। तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्ताव पारित होने उपरांत हरिजनों को मौके पर प्लाटों का कब्जा मु० न० 81 में दे दिया गया और कब्जा मिलते ही प्लाटधारको द्वारा मकान बना लिए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव न० 07 दिनांक 10.09.1972 पारित किया कि सभी आबटित हरिजनों को मु० न० 82 की बजायें मु० व किला न0 100//4, 5, 6, 7, 14 मे प्लाट देने वारे मंजूरी दी गई। परन्तु उनका हिब्बानामा मु० न० 100 मे पंजीकृत नही करवाया गया। जिस कारण सभी मु० न० 81 में ही घर बनाकर रहते रहे। सरकार द्वारा मु० 81 व अन्य को अरावली पौधारोण के लिए आरक्षित करने बारे कोई अधिसूचना जारी नही की गई थी। इस प्रकार मु० न० 81 पर 1980 से पूर्व की गई रिहायश पर वन सरंक्षण नियम 1980 लागू नहीं होता।

पूर्व सरपंच श्रीमान जगदीश राधव ने प्रस्ताव नं0 52 दिनांक 20.07.2000 द्वारा 1969 में प्रस्तावित 44 प्लाट धारको को (जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वारसान) हक में हिब्बानामा कराना प्रस्तावित किया और सभी लाभार्थियों के हक में मु० न० 100 में हिब्बानामा पंजीकृत करवा दिया गया परन्तु सभी प्लाट धारक मु० न० 81 पर 1969–70 से मकान बना कर रह रहे है व मु० न० 100 मौके पर खाली पडा है। उस पर किसी प्लाट धारक को कोई कब्जा नही दिया गया। वन विभाग गुरूग्राम द्वारा वर्ष 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पालना में बिना मौका निरीक्षण व बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के मु0 न0 81 व साथ–साथ अन्य मुस्तिल के किला नम्बरान पौधारोपण के लिए आरक्षित कर लिए गए क्योकि मु0 न0 81 पर वर्ष 1969–70 से आबादी बस चुकी थी जिस पर पौधारोपण किया जाना संभव नही था।

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 171 लाभार्थियों को वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत द्वारा मु0 न0 81 में ही प्लाट दिए गए थे। प्लाट आबंटित किए जाने से पूर्व तहसीलदार सोहना से प्रार्थना की गई थी कि रिकार्ड में दर्ज

कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना0), सोहना, गुरूग्राम।
ओल्ड जुडिशियल कॅम्पलैक्श, अनाज मण्ड़ी, सोहना।
दूरभाष नं0 0124–2395042 ई–मेलः sdmsouthgurgaon@gmail.com

गैरमुमकिन पहाड की किस्म को बदला जाए। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिर्पोट में मु0 न0 81 मैं मौके पर पहाड नही है प्लाट काटे जा सकते है यह स्पष्ट कर दिया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव न0 01 दिनांक 17.10.2013 प्रस्ताव पारित किया जिसमें चकबंदी के दौरान जो खामियां रह गई थी उसको दुरूस्त करने हेतू (लाल डोरा बढाने) निदेशक महोदय चकबंदी विभाग हरियाणा की सेवा में भेजा गया था जो अभी भी विचाराधीन है। इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से विचार विमर्श करने उपरान्त ग्राम पंचायत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की पालना करते हुए यह निर्णय जनहित में लेती है कि मु0 व किला न0 80//16 (8–0), 81//5 मीन (1–0), 6 (8–0), 7 (8–0), 8 (8–0), 10 (8–0), 11(8–0), 12 (8–0), 13 (8–0), 14 (8–0), 15 (8–0), 16 (8–0), 17 (8–0), 18 (8–0), 19 (8–0), 20 (8–0), 24 (8–0), 82//2 (4–0), 10 (8–0), 57//12 (4–0), 19 (6–0), 21 (6–0), 67//1 (6–0), 68//5 (2–0), 6 (4–0) कुल तादादी रकबा 21 एकड 01 कनाल 0 मरला जिस पर आबादी बस चुकी है। इस रकबे को अरावली पौधारोपण की सूचि से अनारक्षित करवाया जाए। इसके बदले ग्राम पंचायत अपनी मलकियत 57//3 (8–0), 4 (8–0), 8 (8–0), 10 (8–0), 11 (8–0), 68//15 (8–0), 17 (8–0), 80//7 मीन (7–0), 12 (8–0), 13 (8–0), 14 मिन (7–0), 100//1 (8–0), 2 (8–0), 9 (8–0), 10 (8–0), 11 (8–0), 12 (8–0), 101//2 (8–0), 3 (8–0), 4 (8–0), 5 (8–0), 6 (8–0), 7 (8–0), 8 (8–0), 9 (8–0) कुल तादादी रकबा 24 एकड 6 कनाल 0 मरला वन विभाग को नियमानुसार पोधारोपण हेतू देने को तैयार है। पंचायत का नकल प्रस्ताव रिर्पोट के साथ सलंग्न है। व ग्राम पंचायत घामडौज ने वन विभाग के साथ विवादित भूमि का तबादला करने का केस आनलाईन अप्लाई कर दिया है जिसका रिसिप्ट नं0 FP/HR/other/564252/2026 dt. 05.01.2026 है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौका निरिक्षण में पाया की मु० नम्बर 81//1 में खाली पेड़ पौधे व मु० नम्बर 81//2 खाली व पेड पौधे मु० नम्बर 81//3 में खाली व पेड

कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना0), सोहना, गुरूग्राम।
ओल्ड जुडिशियल कॅम्पलैक्श, अनाज मण्डी, सोहना।
दूरभाष नं0 0124–2395042 ई–मेलः sdmsouthgurgaon@gmail.com

पौधे व मु० नम्बर 81//4 में लगभग 90 प्रतिशत पेड पौधे व लगभग 10 प्रतिशत गै०मु० मकानात व मु० नम्बर 81//5 खाली व पेड पौधे 95 प्रतिशत लगभग व 5 प्रतिशत गै०मु० व मु० नम्बर 81//6 लगभग 50 प्रतिशत खाली व रास्ते 50 प्रतिशत गै० मु० मकान लगभग व मु० नम्बर 81//7 लगभग 15 प्रतिशत गै० मु० मकान व 85 प्रतिशत लगभग खाली व पेड पौधे मु० नम्बर 81//8 लगभग 90 प्रतिशत खाली व पेड़ पौधे 10 प्रतिशत गै० मु० व मु० नम्बर 81//9 में खाली 90 प्रतिशत लगभग व 10 प्रतिशत गै० मु० व मु० नम्बर 81//10 लगभग 70 प्रतिशत खाली रास्ता व पेड़ पौधे व 30 प्रतिशत गै० मु० मकान व मु० नम्बर 81//11 गै० मु० मकान व रास्ते व मु० नम्बर 81//12 गै० मु० मकान व रास्ते, व मु० नम्बर 81//13 गै० मु० मकान व रास्ते व मु० नम्बर 81//14 गै० मु० मकान व रास्ते व मु० नम्बर 81//15, 16, 17, 18, 19, 20 गै० मु० मकान व रास्ते व मु० नम्बर 81//21, 22, 23, 24, 25 में 90 प्रतिशत लगभग पेड पौधे व 10 प्रतिशत गै० मु० मकान व मु० नम्बर 82//1–22 में लगभग पेड़ पौधे मु० नम्बर 82//2 में लगभग 50 प्रतिशत पेड पौधे व 50 प्रतिशत लगभग गै० मु० मकान व रास्ते व मु० नम्बर 82//3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24/1, 24/2, 25/1. 25/2 में लगभग सारे में गै० मु० मकान व रास्ते है व मु० नम्बर 82//21 में लगभग 50 प्रतिशत पेड पौधे व 50 प्रतिशत गै० मु० रास्ते व मकान है व मु० नम्बर 100// 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 में लगभग सारे 100 प्रतिशत में पेड पौधे व 100//14, 15, 16, 17 लगभग खाली है।

गांव धामडौज के मु0 न 80//1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25 व मु0 नं0 81//1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 व मु0 नं0 82//1, 2, 10 पर वन विभाग के रिकार्ड अनुसार दिनांक 11.12.1994 को अरावली पौधारोपण क्षेत्र घोषित हुआ था।

वन रजिक अधिकारी, सोहना।	तहसीलदार, सोहना।	बी0डी0पी0ओ0, सोहना।	उपमण्डल अधिकारी ना0 सोहना।

Annexure - R-4

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी, ना0
सोहना।

क्रमांक 3828 दिनांक 05-12-25

विषय : O.A. No. 85 of 2025 titled as Jagdish Raghav V/s State of Haryana & others.
आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1668/एम0सी0 दिनांक 12.11.2025 के सन्दर्भ में।

सन्दर्भित पत्र की पालना में आपके कार्यालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट इस प्रकार हैं : –

यह कि ग्राम पंचायत घामडौज ने अपने नकल प्रस्ताव न0 01 दिनांक 24.11.2025 के मार्फत खण्ड कार्यालय को अवगत कराया है कि पूर्व ग्राम पंचायत घामडोज ने अपने प्रस्ताव न0 01 दिनांक 30.09.1969 के माध्यम से निर्णय लिया था कि गांव के हरिजनों के पास रिहायश के लिए कोई जगह नही है इसलिए इन्हे रिहायश के लिए मुरित्तल न0 82//17/2, 18, 23, 24/1, 99/3 व 4/1 मिन कुल तादादी रकबा 30 कनाल 5 मरला में रिहायश के लिए प्लाट दिए जावे। तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्ताव पारित होने उपरांत हरिजनों को मौके पर प्लाटों का कब्जा मु0 न0 81 में दे दिया गया और कब्जा मिलते ही प्लाटधारको द्वारा मकान बना लिए गए।

तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव न0 07 दिनांक 10.09.1972 पारित किया कि सभी आवंटि हरिजनों को मु0 न0 82 की बजायें मु0 व किला न0 100//4, 5, 6,7 , 14 में प्लाट देने बारे मंजूरी दी गई। परन्तु उनका हिब्बानामा मु0 न0 100 में पंजीकृत नही करवाया गया। जिस कारण सभी मु0 न0 81 में ही घर बनाकर रहते रहे। सरकार द्वारा मु0 81 व अन्य को अरावली पौधारोण के लिए आरक्षित करने बारे कोई अधिसूचना जारी नही की गई थी। इस प्रकार मु0 न0 81 पर 1980 से पूर्व की गई रिहायश पर वन सरंक्षण नियम 1980 लागू नही होता।

तत्पश्चात पूर्व सरपंच श्रीमान जगदीश राघव ने प्रस्ताव न0 52 दिनांक 20.07.2000 द्वारा वर्ष 1969 में प्रस्तावित 44 प्लाट धारको को (जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वारसान) हक में हिब्बानामा कराना प्रस्तावित किया और सभी लाभार्थियों के हक में मु0 न0 100 में हिब्बानामा पंजीकृत करवा दिया गया परन्तु सभी प्लाट धारक मु0 न0 81 पर 1969–70 से मकान बना कर रह रहे है व मु0 न0 100 मौके पर खाली पडा है। उस पर किसी प्लाट धारक को कोई कब्जा

नही दिया गया। वन विभाग गुरूग्राग द्वारा वर्ष 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पालना में बिना मौका निरीक्षण व बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के मु0 न0 81 व साथ–साथ अन्य मुस्तिल के किला नम्बरान पौधारोपण के लिए आरक्षित कर लिए गए क्योकि मु0 न0 81 पर वर्ष 1969–70 से आबादी बस चुकी थी जिस पर पौधारोपण किया जाना संभव नही था।

तत्पश्चात हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 171 लाभार्थियों को वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत द्वारा मु0 न0 81 में ही प्लाट दिए गए थे। प्लाट आबंटित किए जाने से पूर्व तहसीलदार सोहना से प्रार्थना की गई थी कि रिकार्ड में दर्ज गैरमुमकिन पहाड की किस्म को बदला जाए। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिर्पोट में मु0 न0 81 मैं मौके पर पहाड नही है प्लाट काटे जा सकते है यह स्पष्ट कर दिया गया था।

तत्पश्चात ग्राग पंचायत द्वारा प्रस्ताव न0 01 दिनांक 17.10.2013 प्रस्ताव पारित किया जिसमें चकबंदी के दौरान जो खामियां रह गई थी उसको दुरूस्त करने हेतू (लाल डोरा बढाने) निदेशक महोदय चकबंदी विभाग हरियाणा की सेवा में भेजा गया था जो अभी भी विचारधीन है। इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से विचार विमर्श करने उपरान्त ग्राम पंचायत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की पालना करते हुए यह निर्णय जनहित में लेती है कि मु0 व किला न0 80//16 (8–0), 81//5 मीन (1–0), 6 (8–0), 7 (8–0), 8 (8–0), 10 (8–0), 11(8–0), 12 (8–0), 13 (8–0), 14 (8–0), 15 (8–0), 16 (8–0), 17 (8–0), 18 (8–0), 19 (8–0), 20 (8–0), 24 (8–0), 82//2 (4–0), 10 (8–0), 57//12 (4–0), 19 (6–0), 21 (6–0), 67//1 (6–0), 68//5 (2–0), 6 (4–0) कुल तादादी रकबा 21 एकड 01 कनाल 0 मरला जिस पर आबादी बस चुकी है। इस रकबे को अरावली पौधारोपण की सूचि से अनारक्षित करवाया जाए। इसके बदले ग्राम पंचायत अपनी मलकियत 57//3 (8–0), 4 (8–0), 8 (8–0), 10 (8–0), 11 (8–0), 68//15 (8–0), 17 (8–0), 80//7 मीन (7–0), 12 (8–0), 13 (8–0), 14 मिन (7–0), 100//1 (8–0), 2 (8–0), 9 (8–0), 10 (8–0), 11 (8–0), 12 (8–0), 101//2 (8–0), 3 (8–0), 4 (8–0), 5 (8–0), 6 (8–0), 7 (8–0), 8 (8–0), 9 (8–0) कुल तादादी रकबा 24 एकड 6 कनाल 0 मरला वन विभाग को नियमानुसार पोधारोपण हेतू देने को तैयार है। पंचायत का नकल प्रस्ताव रिर्पोट के साथ सलंग्न करके आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलंग्नः नकल प्रस्ताव।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सोहना।

139

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत ब्लाक जिला

1 तिथि	2 उपस्थित पंचों के नाम	3 कार्य जो किया गया
		आज दिनांक 24/11/2025 को ग्राम पंचायत घामडौज की बैठक सरपंच श्रीमती साधना रानी की अध्यक्षता में होकर निम्नलिखित कार्यवाही अम्ल में लाई गई।
	प्रस्ताव 01	यह है कि हाजिर पंचायत में सरपंच ने बताया कि उपायुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 862/पंचायत दिनांक 31/10/2025 ग्राम पंचायत की भूमि पर काटे गए प्लॉटों से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करके रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत इस बारे विचार करे। बाद विचार-विमर्श पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा पुराने रिकोर्ड का अवलोकन करके बताया कि पूर्व ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव नं० 01 दिनांक 30/09/1969 के माध्यम से निर्णय लिया था कि गाँव के हरिजनों के पास रिहायश के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इन्हें रिहायश के लिए मुर० नं० 82//17/2, 18, 23, 24/1, 19/3 व 4/1 मीन कुल तादादी 30 कनाल 5 मरला में रिहायश के लिए प्लॉट दिये जावें। तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्ताव पारित होने उपरान्त हरिजनों को मौके पर प्लॉटों का कब्जा मु० नं० 81 में दे दिया गया और कब्जा मिलते ही प्लॉटधारकों द्वारा मकान बना लिए थे। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत ने आम सभा की प्र० नं० 07 दिनांक 10/09/1972 द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी अलॉटि हरिजनों को उपरोक्त की बजाय मु० नं० 100 के किला नं० 4, 5, 6, 7, 14 में
	Sadhana Rani सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम	

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत   ब्लाक   जिला

1 तिथि	2 उपस्थित पंचों के नाम	3 कार्य जो किया गया
	Jaidhwana Rani सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम	प्लॉट दिए जाए / परन्तु उनका हिबानामा मु० नं० 100 में पंजीकृत नहीं करवाया गया / जिस कारण सभी मु० नं० 81 में ही घर बनाकर रहते रहे / सरकार द्वारा मु० नं० 81 व अन्य को अरावली पौधारोपण के लिए आरक्षित करने बारे कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी / इस प्रकार मु० नं० 81 पर 1980 पूर्व की अब रिहायश पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता / तत्पश्चात पूर्व सरपंच श्रीमान जगदीश संधू ने प्र० नं० 52 दिनांक 20/07/2000 द्वारा वर्ष 1969 में प्रस्तावित 44 प्लाट धारकों को (जिनकी मृत्यु हो गई उनके वारसान) हक में हिबानामा करना प्रस्तावित किया और सभी लाभार्थियों के हक में मु० नं० 100 में हिबानामा पंजीकृत करवा दिया गया / परन्तु सभी प्लाटधारक मु० नं० 81 पर वर्ष 1969-70 से मकान बनाकर रह रहे हैं व मु० नं० 100 मौके पर खाली पड़ा है / आज तक किसी प्लाटधारक को कोई कब्जा नहीं दिया गया / वन विभाग गुरुग्राम द्वारा वर्ष 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पालना में बिना मौका निरीक्षण व बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के मु० नं० 81 व साथ-2 अन्य मु० को बिना नक्शा पौधारोपण के लिए आरक्षित कर दिए / जबकि मु० 81 पर 1969-70 से आबादी बस चुकी थी / जिस पर

/ Phoond

उपस्थित पंचों और सरपंच के हस्ताक्षर

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत ब्लाक जिला

1 तिथि	2 उपस्थित पंचो के नाम	3 कार्य जो किया गया
	Sadhana Rani सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम	पौधारोपण किया जाना सम्भव नहीं था। तत्पश्चात हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई योजना मु० गाव ग्राम बस्ती योजना के तहत 17 लाभार्थियों को वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत द्वारा मु० नं० 81 में ही प्लाट दिए गए थे। प्लाट आवंटित किये जाने से पूर्व तहसीलदार सोहना से मांग की गई थी कि रिकार्ड में दर्ज गै० मु० पहाड़ की किस्म को बदला जाए। इस को पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मु० नं० 81 में मौके पर पहाड़ नहीं है। प्लोट कार्ड को सही है यह स्पष्ट कर दिया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा प्र० नं० 01 दिनांक 17/10/2013 प्रस्ताव पारित किया जिसमें चकबंदी के दौरान जो खामियां रह गई थी उनको दुरुस्त करने हेतु (लाल डोरा बढ़ाने) निदेशक महोदय चकबन्दी विभाग हरियाणा की सेवा में भेजा गया था जो अभी भी विचाराधीन है। इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से विचार - विमर्श करने उपरान्त ग्राम पंचायत, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना करते हुए यह निर्णय जनहित में लेती है कि मु० व किला नं० 80// 16 (8-0), 81// 5 मीन (1-0), 6(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 10(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14(8-0), 15(8-0), 16(8-0), 17(8-0), 18(8-0), 19(8-0), 20(8-0), 24(8-0), 82// 2(4-0), 10(8-0), 57// 12(4-0),

उपस्थित पंचों और सरपंच के हस्ताक्षर

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत ब्लाक जिला

1 तिथि	2 उपस्थित पंचों के नाम	3 कार्य जो किया गया
	Kanwar Sadhana Rai रितेश सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम	19(8-0), 21(8-0); 67// 1(8-0); 68// 5(8-0) 6(4-0) कुल तादादी रकबा 21 एकड़ 0 कनाल 0 मरला, जिस पर आबादी बस चुकी है/ इस रकबे को अरावली प्लांटेशन की सूची से अलग किया जाए/ इसके बदले ग्राम पंचायत अपनी मलकियत की भूमि जो किला नं० 57// 3(8-0), 4(8-0), 8(8-0), 10(8-0), 11(8-0); 68// 15(8-0), 17(8-0); 80// 7 मीन (7-0), 12(8-0), 13(8-0), 14 मीन (7-0); 100// 1(8-0), 2(8-0), 9(8-0), 10(8-0) 11(8-0), 12(8-0); 101// 2(8-0), 3(8-0), 4(8-0), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 9(8-0) कुल तादादी रकबा 24 एकड़ 6 कनाल 0 मरला वन विभाग को नियमानुसार पौधारोपण हेतु देने को तैयार है/ प्रस्ताव हाजिर पंचायत में पास कर नकल प्रस्ताव श्रीमान BDPO सोहना के मार्फत श्रीमान उपायुक्त महोदय गुरुग्राम व जिला वन अधिकारी गुरुग्राम को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है — स्वीकार है/ सरिता Sadhana Rai सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम ज्योति संजय कुमार Bijya नीटू Barav

कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोहना, जिला गुरूग्राम
रेवाडी रोड, सोहना नजदीक बाईपास
फैक्स एवं दूरभाष नं0 124–2362246
ई–मेल bdpo.sohna86@gmail.com

सेवा में

उपमण्डल अधिकारी नागरिक
सोहना।

क्रमांकः 65 दिनांकः 06-01-26

विषयः– O.A No 85 of 2025 titled as Jagdish Raghav Vs State of Haryana & Ors.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत घामडोज ने लिखित में अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत घामडोज में वन विभाग के साथ विवादित भूमि का तबादला करने का केस आनलाईन अप्लाई कर दिया गया जिसका रिसिप्ट न0 FP/HR/Other/564252/2026 dt. 05.01.2026 है। यह आपकी सेवा मे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्नः उक्त।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
सोहना।

ग्राम पंचायत घामडौज

खण्ड–सोहना, जिला गुरुग्राम, पिन कोड – 122102 (हरियाणा)

सशक्त पंचायत सतत् विकास

सरपंच श्रीमती साधना रानी मो. 8512000959, 9999678454

क्रमांक : ....

दिनांक :- 05/01/2026

सेवा में,

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
सोहना।

विषय: O.A. No. 85 of 2025 titled as Jagdish Raghav V/s Haryana & ors.

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में अवगत कराया जाता है कि ग्राम पंचायत घामडौज द्वारा वन विभाग के साथ विवादित भूमि का तबादला करने का केस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, जिसका Receipt No. FP/HR/others/564252/2026 Dated 05-01-2026 है। अतः आपकी सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इस पत्र की एक कॉपी श्रीमान उपमण्डल अधिकारी ना० की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न :- * Receipt & Form
* कार्यवाही प्रस्ताव
* अक्स शजरा

Sadhana Rani

सरपंच
ग्राम पंचायत घामडौज

.IVESH 2.0 | Application Submission - Acknowledgment

monitoring-ec@nic.in < monitoring-ec@nic.in >

Mon, 05 Jan 2026 3:32:43 PM +0530

To "sdm.southgrg-hry"<sdm.southgrg-hry@gov.in>

moefcc

Government of India
Ministry of Environment Forest & Climate Change

moefcc

Acknowledgement

You have sucessfully submitted your application detailed below:

i)	Proposal For	Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land
ii)	Proposal No.	FP/HR/OTHERS/564252/2026
iii)	Name of the Project	Gram Panchayat Ghamroj to protect the houses or plots allotted by the Govt. to poor persons
iv)	Name of the User Agency	GRAM PANCHAYAT GHAMROJ
v)	Forest Land Proposed for Diversion	8.5489 Ha.
vi)	Shape of Project	Non - Linear
vii)	Proposal Applied for	Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land
viii)	Approval Granting Authority	N/A
ix)	Location of Project	GURUGRAM - HARYANA
x)	Category of Proposal	Others (please specify)
xi)	Status of Application	DRAFT

The proposal will be scrutinized by the PSC to access the completeness of the application. You will be intimated about the scheduling of the PSC meeting shortly.

Address: CPC Green,Ministry of Environment, Forest and Climate Change,Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh New Delhi – 110003
FC Division,Ministry of Environment, Forest and Climate Change,Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh New Delhi – 110003

Date: 05/01/2026

146

Annexure – R-5

प्रेषक

तहसीलदार,
सोहना।

सेवा में,

उप मण्डल अधिकारी,
(ना0) सोहना, गुरूग्राम।

क्रमांक 1232 /OK दिनांक 05/01/2025

विषय :– O.A. No. 85 of 2025 Jagdish Raghav V/S State of Haryana & othars.

उपरोक्त विषयाधीन मामले में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 862/पंचायत दिनांक 03.11.2025 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में आदेशो की पालना में हल्का पटवारी घामडोज से रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौका निरिक्षण में पाया की मु0 नम्बर 81//1 में खाली पेड पौधे व मु0 नम्बर 81//2 खाली व पेड पौधे मु0 नम्बर 81//3 में खाली व पेड पौधे व मु0 नम्बर 81//4 में लगभग 90 प्रतिशत पेड पौधे व लगभग 10 प्रतिशत गै0मु0 मकानात व मु0 नम्बर 81//5 खाली व पेड पौधे 95 प्रतिशत लगभग व 5 प्रतिशत गै0मु0 व मु0 नम्बर 81//6 लगभग 50 प्रतिशत खाली व रास्ते 50 प्रतिशत गै0 मु0 मकान लगभग व मु0 नम्बर 81//7 लगभग 15 प्रतिशत गै0 मु0 व 85 प्रतिशत लगभग खाली व पेड पौधे मु0 नम्बर 81//8 लगभग 90 प्रतिशत खाली व पेड पौधे 10 प्रतिशत गै0 मु0 व मु0 नम्बर 81//9 में खाली 90 प्रतिशत लगभग व 10 प्रतिशत गै0 मु0 व मु0 नम्बर 81//10 लगभग 70 प्रतिशत खाली रास्ता व पेड पौधे व 30 प्रतिशत गै0 मु0 मकान व मु0 नम्बर 81//11 गै0 मु0 मकान व रास्ते व मु0 नम्बर 81//12 गै0 मु0 मकान व रास्ते, व मु0 नम्बर 81//13 गै0 मु0 मकान व रास्ते व मु0 नम्बर 81//14 गै0 मु0 मकान व रास्ते व मु0 नम्बर 81//15, 16, 17, 18, 19, 20 गै0 मु0 मकान व रास्ते व मु0 नम्बर 81//21, 22, 23, 24, 25 में 90 प्रतिशत लगभग पेड पौधे व 10 प्रतिशत गै0 मु0 मकान व मु0 नम्बर 82//1–22 में लगभग पेड पौधे मु0 नम्बर 82//2 में लगभग 50 प्रतिशत पेड पौधे व 50 प्रतिशत लगभग गै0 मु0 मकान व रास्ते व मु0 नम्बर 82//3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 में लगभग सारे में गै0 मु0 मकान व रास्ते है व मु0 नम्बर 82//21 में लगभग 50 प्रतिशत पेड पौधे व 50 प्रतिशत गै0 मु0 रास्ते व मकान है व मु0 नम्बर 100//1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 में लगभग सारे 100 प्रतिशत में पेड पौधे व 100//14, 15, 16, 17 लगभग खाली है। रिपोर्ट सेवा में पेश है।

तहसीलदार
सोहना।

श्रीमान् जी

मामला आदेश की पालना अर्न्तगत मौजा ब्यामडोप ह० मोहला की मौका निरीक्षण में पाया कि मु० 81 में खाली पेड़ पौधे व 81/2 खाली व पेड़ पौधे 81/3 में खाली व पेड़ पौधे 81/4 में लगभग 90% पेड़ पौधे व लगभग 10% गै० मु० मकानात 81/5 खाली व पेड़ पौधे 95% लगभग व 5% लगभग गै० मु० 81/6 लगभग 50% खाली व रास्ते 50% गै० मु० मकान लगभग व 81/7 लगभग 15% गै० मु० व 85% लगभग खाली व पेड़ पौधे 81/8 लगभग 90% खाली व पेड़ पौधे 10% गै० मु० व 81/9 में खाली 90% लगभग व 10% गै० मु० 81/10 लगभग 70% खाली रास्ता व पेड़ पौधे व 30% गै० मु० मकान व 81/11 गै० मु० मकान व रास्ते व 81/12 गै० मु० मकान व रास्ते 81/13 गै० मु० मकान व रास्ते 81/14 गै० मु० मकान व रास्ते 81/15-16-17-18-19-20 गै० मु० मकान व रास्ते व 81/21-22 81/23-24-25 में 90% लगभग पेड़ पौधे व 10% गै० मु० मकान व मु० 82/1-22 में लगभग पेड़ पौधे 82/2 में लगभग 50% पेड़ पौधे व 50% लगभग गै० मु० मकान व रास्ते व 82/3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-17/1, 82/17/2-15-16-18-19-20-23-24/1, -24/2-25/1-25/2 में लगभग सारे में गै० मु० मकान व रास्ते हैं व 82/21 में लगभग 50% पेड़ पौधे व 50% गै० मु० रास्ते व मकान हैं व मु० 100/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 100/11-12-13-18-19-20 में लगभग सारे 100% में पेड़ पौधे व 100/14-15-16-17 लगभग खाली है। रिपोर्ट सेवा में पेश है

(हस्ताक्षर)
5-11-25

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः— वन राजिक अधिकारी, सोहना
नजदीक इन्दिरा गांधी आई हॉस्पीटल, रायपुर, सोहना, गुरूग्राम, E-mail: sohnarangeto@gmail.com

क्रमांकः— 564-S दिनांकः— 05-01-2026

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

विषयः— **Original Application No. 85/2025 - Jagdish Raghav vs State of Haryana.**
सन्दर्भः— आपका कार्यालय पृ0 क्रमांक 2174-R दिनांक 17.12.2025

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि विभाग में उपलब्ध KML फाईल के रिकार्ड के अनुसार अवलोकन करने उपरान्त पाया गया हैः—

क्रमांक	गांव का नाम	मुरित्तल / खसरा नं0	रिमार्कस
1	घामडौज	80// 1 to 5, 8,9,10,11,16 to 25 81// 1,5,6,7,8,10 to 25 82// 1,2,10	अरावली पौधारोपण क्षेत्र

विभाग के रिकार्ड के अनुसार दिनांक 11.12.1994 को अरावली पौधारोपण क्षेत्र घोषित हुआ है। यह आपको आगामी एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

पृ0 क्रमांकः— 565-S दिनांकः— 05-01-2026
एक प्रति उप मण्डल अधिकारी (ना0) सोहना गुरूग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

वन राजिक अधिकारी,
सोहना।

Annexure -R-7

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी, ना0
सोहना।

क्रमांक 3828 दिनांक 05-12-25

विषय : O.A. No. 85 of 2025 titled as Jagdish Raghav V/s State of Haryana & others.

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1668/एम0सी0 दिनांक 12.11.2025 के सन्दर्भ में।

सन्दर्भित पत्र की पालना में आपके कार्यालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट इस प्रकार हैं : –

यह कि ग्राम पंचायत घामडौज ने अपने नकल प्रस्ताव न0 01 दिनांक 24.11.2025 के मार्फत खण्ड कार्यालय को अवगत कराया है कि पूर्व ग्राम पंचायत घामडोज ने अपने प्रस्ताव न0 01 दिनांक 30.09.1969 के माध्यम से निर्णय लिया था कि गांव के हरिजनों के पास रिहायश के लिए कोई जगह नही है इसलिए इन्हे रिहायश के लिए मुरित्तल न0 82//17/2, 18, 23, 24/1, 99/3 व 4/1 मिन कुल तादादी रकबा 30 कनाल 5 मरला में रिहायश के लिए प्लाट दिए जावे। तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्ताव पारित होने उपरांत हरिजनों को मौके पर प्लाटों का कब्जा मु0 न0 81 में दे दिया गया और कब्जा मिलते ही प्लाटधारको द्वारा मकान बना लिए गए।

तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव न0 07 दिनांक 10.09.1972 पारित किया कि सभी आवंटि हरिजनों को मु0 न0 82 की बजायें मु0 व किला न0 100//4, 5, 6,7 , 14 में प्लाट देने बारे मंजूरी दी गई। परन्तु उनका हिब्बानामा मु0 न0 100 में पंजीकृत नही करवाया गया। जिस कारण सभी मु0 न0 81 में ही घर बनाकर रहते रहे। सरकार द्वारा मु0 81 व अन्य को अरावली पौधारोण के लिए आरक्षित करने बारे कोई अधिसूचना जारी नही की गई थी। इस प्रकार मु0 न0 81 पर 1980 से पूर्व की गई रिहायश पर वन सरंक्षण नियम 1980 लागू नही होता।

तत्पश्चात पूर्व सरपंच श्रीमान जगदीश राघव ने प्रस्ताव न0 52 दिनांक 20.07.2000 द्वारा वर्ष 1969 में प्रस्तावित 44 प्लाट धारको को (जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वारसान) हक में हिब्यानामा कराना प्रस्तावित किया और सभी लाभार्थियों के हक में मु0 न0 100 में हिब्यानामा पंजीकृत करवा दिया गया परन्तु सभी प्लाट धारक मु0 न0 81 पर 1969–70 से मकान बना कर रह रहे है व मु0 न0 100 मौके पर खाली पडा है। उस पर किसी प्लाट धारक को कोई कब्जा

नही दिया गया। वन विभाग गुरूग्राग द्वारा वर्ष 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पालना में बिना मौका निरीक्षण व बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के मु0 न0 81 व साथ–साथ अन्य मुस्तिल के किला नम्बरान पौधारोपण के लिए आरक्षित कर लिए गए क्योकि मु0 न0 81 पर वर्ष 1969–70 से आबादी बस चुकी थी जिस पर पौधारोपण किया जाना संभव नही था।

तत्पश्चात हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 171 लाभार्थियों को वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत द्वारा मु0 न0 81 में ही प्लाट दिए गए थे। प्लाट आबंटित किए जाने से पूर्व तहसीलदार सोहना से प्रार्थना की गई थी कि रिकार्ड में दर्ज गैरमुमकिन पहाड की किस्म को बदला जाए। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिर्पोट में मु0 न0 81 में मौके पर पहाड नही है प्लाट काटे जा सकते है यह स्पष्ट कर दिया गया था।

तत्पश्चात ग्राग पंचायत द्वारा प्रस्ताव न0 01 दिनांक 17.10.2013 प्रस्ताव पारित किया जिसमें चकबंदी के दौरान जो खामियां रह गई थी उसको दुरूस्त करने हेतू (लाल डोरा बढाने) निदेशक महोदय चकबंदी विभाग हरियाणा की सेवा में भेजा गया था जो अभी भी विचारधीन है। इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से विचार विमर्श करने उपरान्त ग्राम पंचायत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की पालना करते हुए यह निर्णय जनहित में लेती है कि मु0 व किला न0 80//16 (8–0), 81//5 मीन (1–0), 6 (8–0), 7 (8–0), 8 (8–0), 10 (8–0), 11(8–0), 12 (8–0), 13 (8–0), 14 (8–0), 15 (8–0), 16 (8–0), 17 (8–0), 18 (8–0), 19 (8–0), 20 (8–0), 24 (8–0), 82//2 (4–0), 10 (8–0), 57//12 (4–0), 19 (6–0), 21 (6–0), 67//1 (6–0), 68//5 (2–0), 6 (4–0) कुल तादादी रकबा 21 एकड 01 कनाल 0 मरला जिस पर आबादी बस चुकी है। इस रकबे को अरावली पौधारोपण की सूचि से अनारक्षित करवाया जाए। इसके बदले ग्राम पंचायत अपनी मलकियत 57//3 (8–0), 4 (8–0), 8 (8–0), 10 (8–0), 11 (8–0), 68//15 (8–0), 17 (8–0), 80//7 मीन (7–0), 12 (8–0), 13 (8–0), 14 मिन (7–0), 100//1 (8–0), 2 (8–0), 9 (8–0), 10 (8–0), 11 (8–0), 12 (8–0), 101//2 (8–0), 3 (8–0), 4 (8–0), 5 (8–0), 6 (8–0), 7 (8–0), 8 (8–0), 9 (8–0) कुल तादादी रकबा 24 एकड 6 कनाल 0 मरला वन विभाग को नियमानुसार पोधारोपण हेतू देने को तैयार है। पंचायत का नकल प्रस्ताव रिर्पोट के साथ सलंग्न करके आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलंग्नः नकल प्रस्ताव।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सोहना।

151

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत **ब्लाक** **जिला**

1 तिथि	2 उपस्थित पंचों के नाम	3 कार्य जो किया गया
	सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम	आज दिनांक 24/11/2025 को ग्राम पंचायत घामडौज की बैठक सरपंच श्रीमती साधना रानी की अध्यक्षता में होकर निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्ताव 01 यह है कि हाजिर पंचायत में सरपंच ने बताया कि उपायुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 862/पंचायत दिनांक 31/10/2025 ग्राम पंचायत की भूमि पर काटे गए प्लोटों से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करके रिपोर्ट माँगी गई है। पंचायत इस बारे विचार करे। बाद विचार-विमर्श पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा पुराने रिकोर्ड का अवलोकन करके बताया कि पूर्व ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव नं० 01 दिनांक 30/09/1969 के माध्यम से निर्णय लिया था कि गाँव के हरिजनों के पास रिहायश के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इन्हें रिहायश के लिए मुरब्बा नं० 82//17/2, 18, 23, 24/1, 19/3 व 4/1 जिन कुल तादाद 30 कनाल 5 मरला में रिहायश के लिए प्लोट दिये जावें। तत्कालीन पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित होने उपरान्त हरिजनों को मौके पर प्लोटों का कब्जा मु० नं० 81 में दे दिया गया और कब्जा मिलते ही प्लाटधारकों द्वारा मकान बना लिए थे। इसके पश्चात ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से प्र० नं० 07 दिनांक 10/09/1972 द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी अलॉटी हरिजनों को उनका कब्जा मुरब्बा नं० 100 के किला नं० 4, 5, 6, 7, 14 में

उपस्थित पंचों और सरपंच के हस्ताक्षर

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत ब्लाक जिला

1 तिथि	2 उपस्थित पंचों के नाम	3 कार्य जो किया गया
	सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम	प्लॉट दिए जाए / परन्तु आगे हिबानामा मु० न० 100 में पंजीकृत नहीं करवाया गया / जिस कारण सभी मु० न० 81 में ही घर बनाकर रहते रहे / सरकार द्वारा मु० न० 81 व अन्य को अरावली पौधारोपण के लिए आरक्षित करने बारे कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी / इस प्रकार मु० न० 81 पर 1980 पूर्व की गई रिहायश पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता / तत्पश्चात पूर्व सरपंच श्रीमान जगदीश सम्बंध में प्र० न० 52 दिनांक 20/07/2000 द्वारा वर्ष 1969 में प्रस्तावित 44 प्लाट धारकों व (जिनकी मृत्यु हो गई उनके वारिसान) हक में हिबानामा करवाना प्रस्तावित किया और सभी लाभार्थियों के हक में मु० न० 100 में हिबानामा पंजीकृत करवा दिया गया / परन्तु सभी प्लाटधारक मु० न० 81 पर वर्ष 1969-70 से मकान बनाकर रह रहे हैं व मु० न० 100 मौके पर खाली पड़ा है / अभी किसी प्लाटधारक को कोई कब्जा नहीं दिया गया / वन विभाग गुरुग्राम द्वारा वर्ष 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पालना में बिना मौका निरीक्षण व बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के मु० न० 81 व साथ-2 अन्य मु० को बिना नम्बर पौधारोपण के लिए आरक्षित कर दिया / जबकि मु० 81 पर 1969-70 से आबादी बस चुकी थी / जिस पर

उपस्थित पंचों और सरपंच के हस्ताक्षर

153

फार्म नं० 2

[illegible]ताब कारवाई पंचायत ब्लाक जिला

1 [illegible]	2 उपस्थित पंचो के नाम	3 कार्य जो किया गया
	Sadhana Rani सरपंच ग्राम पंचायत घामडौज खण्ड सोहना गुरुग्राम [signature] G.I	पौधारोपण किया जाना सम्भव नहीं था। तत्पश्चात हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई योजना म० गा० ग्राम बस्ती योजना के तहत 171 लाभार्थियों को वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत की मु० न० 81 में ही प्लाट दिए गए थे। प्लोट आबंटित किए जाने से पूर्व तहसीलदार सोहना से प्रार्थना की गई थी कि रिकॉर्ड में दर्ज गै० मु० पहाड़ की किस्म को बदला जाए। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मु० न० 81 के मौके पर पहाड़ नहीं है, प्लोट काटे जा सकते हैं यह स्पष्ट कर दिया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा प्र० न० 01 दिनांक 17/10/2013 प्रस्ताव पारित किया जिसमें चकबंदी के दौरान जो खामियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने हेतु (लाल डोरा बढाने) निदेशक महोदय चकबन्दी विभाग हरियाणा की सेवा में भेजा गया था जो अभी भी विचाराधीन है। इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से विचार - विमर्श करने उपरान्त ग्राम पंचायत, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना करते हुए यह निर्णय जनहित में लेती है कि मु० व किला न० 80// 16 (8-0), 81// 5 मीन (1-0), 6 (8-0), 7 (8-0), 8 (8-0), 10 (8-0), 11 (8-0), 12 (8-0), 13 (8-0), 14 (8-0), 15 (8-0), 16 (8-0), 17 (8-0), 18 (8-0), 19 (8-0), 20 (8-0), 24 (8-0); 82// 2 (4-0), 10 (8-0); 57// 12 (8-0),

उपस्थित पंचों और सरपंच के हस्ताक्षर

फार्म नं० 2

किताब कारवाई पंचायत ब्लाक जिला

1 तिथि	2 उपस्थित पंचों के नाम	3 कार्य जो किया गया
		19(8-0), 21(8-0); 67// 1(8-0); 68// 5(8-0) 6(4-0) कुल तादादी रकबा 21 एकड़ 0 कनाल 0 मरला, जिस पर आबादी बस चुकी है। इस रकबे को अरावली प्लांटेशन की सूची से अधिसूचित करवाया जाए। इसके बदले ग्राम पंचायत अपनी मलकियत की भूमि जो किला नं० 57// 3(8-0), 4(8-0), 8(8-0), 10(8-0), 11(8-0); 68// 15(8-0), 17(8-0); 80// 7 मीन (8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14 मीन (7-0); 100// 1(8-0), 2(8-0), 9(8-0), 10(8-0) 11(8-0), 12(8-0); 101// 2(8-0), 3(8-0), 4(8-0), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 9(8-0) कुल तादादी रकबा 29 एकड़ 6 कनाल 0 मरला वन विभाग को नियमानुसार पौधारोपण हेतु देने को तैयार है। प्रस्ताव हाजिर पंचायत में पास कर नकल प्रस्ताव श्रीमान खं०वि०प०अ० सोहना के मार्फत श्रीमान उपायुक्त महोदय गुरुग्राम व जिला वन अधिकारी गुरुग्राम को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है — स्वीकार है।

Sadhana Rai दिव्या

सरपंच
ग्राम पंचायत घामडौज
खण्ड सोहना गुरुग्राम

सरिता

Sadhana Rai
सरपंच
ग्राम पंचायत घामडौज
खण्ड सोहना गुरुग्राम

ज्योति

संजय कुमार

प्रिया नीटू